

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1048/254/सीसी/17—अडतीस
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27.07.17

✓ सचिव,

स्व.श्री बलवीर सिंह गौतम शिक्षा प्रसार एवं जनकल्याण समिति
सटई रोड छतरपुर
म.प्र.

विषय:—मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव — स्व.श्री बलवीर सिंह गौतम शिक्षा प्रसार एवं जनकल्याण समिति (श्री कृष्ण निजी विश्वविद्यालय, छतरपुर)।
संदर्भ:—म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का पत्र क्रमांक 558 दिनांक 06.05.17 तथा निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की बैठक के कार्यवाही विवरण में की गई अनुशंसा दिनांक 06.05.17

— 0 —

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा किया जाकर आयोग की अनुशंसा दिनांक 06.05.17 के आधार पर राज्य शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर आशय—पत्र निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया है कि प्रायोजी निकाय द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 7 में उल्लेखित समस्त शर्तों एवं 'विहित प्रक्रिया का पालन करने' की कार्यवाही निर्धारित अवधि में की जावेगी।

शर्त निम्नानुसार हैं:—

1. वह—

(क) मुख्य परिसर तथा ऐसे अन्य परिसर जो विनियामक आयोग द्वारा समय—समय पर यथासंशोधित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किए जाएं, स्थापित करेगा।

(ख) धारा 11 के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि स्थापित करेगा।

2. वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संबंधित विनियामक परिषद् या परिषदों के मानकों के, यदि कोई हो, अध्यधीन रहते हुए, स्थापित किये जाने वाले मुख्य परिसर के लिए न्यूनतम 10 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करेगा और उसके स्वामित्व संबंधी कागजात प्रस्तुत करेगा।

3. वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित विनियामक परिषद् या परिषदों के मानकों के, यदि कोई हो, अध्यधीन रहते हुए, प्रशासकीय प्रयोजन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए भवन तथा अनुषंगी संरचना के रूप में न्यूनतम 2500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र उपलब्ध करायेगा।

(क) निजी विश्वविद्यालय एकात्मक तथा स्ववित्तपोषित होगा।

(ख) निजी विश्वविद्यालय की भूमि तथा भवन का उपयोग केवल निजी विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु किया जाएगा।

(ग) निजी विश्वविद्यालय के निगमन के तत्काल पश्चात तथा कक्षाएं प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक विभाग में या विषय (डिसिप्लीन) में आवश्यक सहयोगी कर्मचारीवृन्द सहित पर्याप्त संख्या में संकाय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

(घ) वह छात्रों के लाभ हेतु विनियामक निकाय द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार उचित शैक्षणिक तथा स्वस्थ वातावरण को प्रोत्साहित करने हेतु सह-पाठ्यक्रम कियाकलाप, जैसे सेमिनार, वादविवाद, प्रश्नावली, कार्यक्रम तथा पाठ्येतर कियाकलाप जैसे कीड़ा, खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा स्कीम, नेशनल केडिट कोर्प्स आदि, को करेगा।

(ङ.) वह निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ करेगा।

(च) वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरी करेगा तथा ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियामक आयोग और विनियामक परिषदों द्वारा, समय-समय पर, विहित की जाए।

(छ) विनियामक निकाय द्वारा, समय-समय पर, अधिकथित कार्यक्रम, संकाय, अधोसंरचना, सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता की शर्तों को निर्धारित मापदण्डों में पूरा करेगा।

(ज) वह स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि या उपाधिपत्र के मुख्य अध्ययन कार्यक्रम की रचना करेगा जो सुसंगत विनियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित कानूनी निकायों के मानकों की पुष्टि करेगा।

(झ) वह यथास्थिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विनियामक परिषदों या विनियामक आयोग के मानकों, दिशा निर्देशों या निर्देशों के अनुसार, यदि कोई हों, प्रवेश प्रक्रिया एवं फीस के नियतन को अवधारित करेगा।

(ज) उसका नेशनल कौसिल ऑफ एसेसमेन्ट एण्ड एकेडिटेशन द्वारा आवश्यक रूप से मूल्यांकन तथा प्रत्यायन किया जाएगा।

(ट) निजी विश्वविद्यालय का अध्यापन कर्मचारीवृन्द, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित विनियामक परिषद या निकाय द्वारा यथाविहित न्यूनतम अर्हता रखेगा तथा कर्मचारीवृन्द को समुचित पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा।

(ठ) निजी विश्वविद्यालय समस्त व्यक्तियों के लिए, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, खुला रहेगा और जाति, पंथ धर्म बंश के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा निजी विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी भी व्यक्ति या, निजी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें किसी अन्य पद के धारण करने या उसे निजी विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश दिए जाने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार परीक्षण करे या उस पर कोई परीक्षण थोपे।

(ड.) म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 तथा संशोधन अधिनियम, 2013 एवं 2016 में दिए गए प्रावधान अनुसार धारा 35 के उपबंध के अनुसार संबंधित परिनियमों या अध्यादेशों 'के राजपत्र' में प्रकाशित हो जाने तथा विनियामक आयोग के निरीक्षण पूर्ण होने तक प्रवेश तथा कक्षाएं प्रारंभ नहीं होंगे।

(य) विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रायोजी निकाय ने उपरोक्त उपबंधों का पालन कर लिया है तथा उसके प्रस्ताव के आधार पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है, तो वह अनुसूची का संशोधन करके ऐसे विशिष्ट नाम तथा विवरण सहित, जैसा कि अनुसूची में इस निमित विनिर्दिष्ट किया जाए, एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा।

(र) अधिनियम की धारा 9(2) के प्रावधान के अनुसार, ऐसा निजी विश्वविद्यालय, अनुसूची के संशोधन की तारीख से निगमित हुआ समझा जाएगा।

(ल) निजी विश्वविद्यालय अनुसूची में दर्शाएँ गए ऐसे नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए शाश्वत् उत्तराधिकार होगा एवं उसकी सामान्य मुद्रा होगी, जो सम्पत्ति अर्जित कर सकेगा तथा उसका स्वामित्व होगा, करार कर सकेगा तथा उस नाम से वाद चला सकेगा तथा उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(व) ऐसे निजी विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध प्रस्तुत समस्त वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में अभिवचन कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किये जाएंगे और ऐसे वाद या कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुलसचिव को जारी की जाएंगी तथा उस पर तामील की जाएंगी।

4. राज्य सरकार से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2), धारा- 8 (6) एवं 11 (1) में यथा उपबंधित आशय—पत्र प्राप्त होने पर, यदि कोई प्रायोजी निकाय शर्तों को पूरा करना चाहता है तथा आशय—पत्र में यथा उल्लेखित परिवर्चन देता है तो वह बैंककारी कंपनी (उपकरणों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 क्र. 5) की प्रथम अनुसूची में तत्स्थानी नये बैंक के रूप में विभिन्निष्ट बैंक में 'पन्द्रह दिन के भीतर शाश्वत निक्षेप के रूप में पांच करोड़ की विन्यास निधि स्थापित करेगा।

5. वह धारा 9—क में उपबंधित प्रक्रिया अपनाए बिना किसी ऐसे विद्यमान महाविद्यालय या संस्था को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी विभाग, विद्या शाखा या निजी विश्वविद्यालय की संघटक इकाई के रूप में संबद्ध हो, अधिसूचित नहीं करेगा।

6. वह विनियामक आयोग की पूर्व अनुमति के बिना कोई संकाय स्थापित नहीं करेगा।

7. आशय पत्र, इसके जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा तथा राज्य सरकार, विनियामक आयोग की सिफारिश पर वैधता की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी।

8. निजी विश्वविद्यालय, उसके निगमन के पश्चात, विनियामक आयोग को किसी अन्य विद्यमान विश्वविद्यालय से किसी विभाग या विद्या शाखा या निजी विश्वविद्यालय की किसी अन्य संघटक इकाई के रूप में संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था को अधिसूचित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

9. निजी विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम, 2007 यथा संशोधित 2013 एवं 2016 के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करना सुनिश्चित किया जावे।

(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

मोप्रशासन उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय,

भोपाल, दिनांक

पृ.क्र. /254/सीसी/17—अड्डतीस
प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. सदस्य सचिव, एन.सी.टी.ई. हंस भवन, बिंग-2 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

5. अध्यक्ष, एम.सी.आई.पॉकेट-14 सेक्टर 8 द्वारका फेस-1 नई दिल्ली।
6. सचिव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, 21, राउस एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, बाल भवन के पास, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, ए.आई.सी.टी.ई, 7 फ्लोर, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली- 110001
8. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9. अध्यक्ष म.प्र. निजी, विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, ज्ञान बाटिका गाल्मी रोड़ कोलार रोड़, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय अधिनियम, 2007, द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2013 एवं 2016 आनुषांगिक संशोधनों के अनुरूप अधोसंरचना, भूमि आदि एवं अन्य आवश्यक शर्तें नियमानुसार पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे साथ ही भविष्य में आशय पत्र के प्रस्ताव के साथ संभागीय कलेक्टर से आवश्यक प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
10. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, सागर संभाग, सागर।

अवर सचिव
मोप्रशासन उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,